न्यायालय, अंचल अधिकारी, कोडरमा।

भूमि सत्यापन अभिलेख संख्या–575/2023

16.10.2023

आवेदिका **श्रीमती प्रतिमा वर्णवाल, पति–विनोद वर्णवाल, साकिन–हरिपुर बरोपाड़ा, पोस्ट–हरिपुर, थाना–वनहाल, जिला–वर्द्धमान** द्वारा विवरणी की भूमि को बिक्री करने के लिए भूमि को बिक्री करने के लिए भूमि सत्यापन हेतु आवेदन समर्पित किया गया है :–

मौजा	थाना सं0	खाता सं0	प्लॉट सं0	रकवा	किस्म
गुमो	**12**	**116**	**5862**	**01 डी0**	**रैयती**

अतएव मूल आवेदन पत्र हलका राजस्व उपनिरीक्षक को हस्तगत कराये एवं जाँच प्रतिवेदन अंचल निरीक्षक के माध्यम से प्राप्त करें। साथ हीं आम इश्तेहार निर्गत करें।

अभिलेख दिनांक 25.10.2023 को प्रस्तुत करें।

16/10/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

25.10.2023

अभिलेख उपरस्थापित।

आम इस्तेहार का तामिला प्राप्त। किसी के द्वारा आपत्ति नहीं की गयी है। हलका राजस्व उपनिरीक्षक एवं अंचल निरीक्षक द्वारा जाँचोपरान्त प्रतिवेदित किया गया है कि मौजा–गुमो, थाना नं0–12, खाता संख्या–116, प्लॉट संख्या–5862, रकवा–01 डी0 भूमि पंजी–II के पृ0सं0–07, भाग संख्या–72 पर श्रीमती प्रतिमा वर्णवाल, पति–श्री विनोद वर्णवाल के नाम से ऑनलाईन जमाबंदी दर्ज है। उक्त भूमि केवाला संख्या–313, दिनांक 20.01.2022 द्वारा हासिल है। प्राधिकार कॉलम में दाखिल खारिज वाद संख्या–1898/2022–23 दर्ज है। भूमि रैयती खाते की है। लगान रसीद वर्ष 2022–23 तक निर्गत है। शपथ पत्र संख्या–03 दिनांक 23.09.2023 (नोटरी पब्लिक, कोडरमा) की मूल प्रति संलग्न किया गया है।

यद्यपि निबंधन के उपरन्त भी Bihar Tenants Holding (Maintenance of Records) Acts-1973 के अन्तर्गत प्राप्त नामान्तरण का अधिकार अंचल अधिकारी के न्यायालय में सुरक्षित रहेगा एवं नामान्तरण के पूर्व अगर कोई वैध आपत्ति होती है तो विधिसम्मत् निर्णय लेने के लिए अंचल अधिकारी का न्यायालय स्वतंत्र होगा।

25/10/23

अंचल अधिकारी,
कोडरमा।

06. पंजी 27 में संबंधित जमाबंदी की सत्यंता की जाँच की गई एवं पाया गया कि

07. आवेदक द्वारा अपने दावे के संबंध में निम्नकित कागजात प्रस्तुत किया गया है:—

1. मूल आवेदन पत्र सं०-03 दिनांक - 23.9.23
2. ONLINE पंजी II / लगान रसीद
3. केवाला सं०-313 दिनांक-20.1.22

08. यादि जमाबंदी विक्रेता के स्वयं के नाम पर दर्ज नही है तो आवेदक द्वारा

(क) वंशावली दी गई है अथवा नही :— स्वयं

(ख) अन्य हिस्सेदारो का अनापत्ति प्राप्त है अथवा नही :— स्वयं

09. प्रशनगत भू—खण्ड भू हदबंदी/भवन लीज या सरकारी सस्था की नही है तथा छोटानागपुर अधिनियम 190 एवं इसके नियमे के अन्तगर्त भूमि के हस्तांतरण पर किसी प्रकार की कोई रोक नही है। नहीं

10. हल्का कर्मचारी एवं अंचल निरीक्षक का स्पष्ट मतव्य :— मौजा गुमो, थाना नं०-12 के अन्तर्गत पंजी II के पृ० सं०-7/72 पर खाता नं०-116 प्लॉट नं०-5862 रकबा-4 डि० भूमि प्रतिमा अग्रवाल पति - किशोर अग्रवाल के नाम से ONLINE जमाबन्दी दर्ज है। भूमि श्रेणी है। केवाला सं०-313 दिनांक - 20.1.22 द्वारा दाखिल है। खाता नं०-116 प्लॉट नं०-5862 रकबा - 4 डि० भूमि निबंधन योग्य है। (one time)

हस्ताक्षर

अंचल निरीक्षक

हस्ताक्षर

राजस्व कर्मचारी

नाम—

हल्का संख्या— IIB

Digitally signed by HALDHAR KUMAR SETHI
Date: 2024.12.13 16:36:32 +05:30
Location: 192.168.0.185